**बिहार सरकार**
**समाज कल्याण विभाग**
**(समाज कल्याण निदेशालय)**

सं0 सं0–10 / विविध–09 / 2023

## आवश्यक सूचना (अल्पकालीन)

किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 के अंतर्गत देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के आवासन, विकास एवं पुर्नवास इत्यादि हेतु राज्य के प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति के गठन करने का प्रावधान है। बाल कल्याण समिति में बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 के नियम 15 के तहत संबंधित जिले के एक अध्यक्ष तथा चार अन्य सदस्य होंगे, जिनमें से कम से कम दो महिला और कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अन्य एक सदस्य अति पिछड़ा वर्ग / अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदाय से होगा। वर्तमान में राज्य के 35 जिले में निम्न प्रकार बाल कल्याण समिति का गठन / पुनर्गठन किया जाना है।

| क्र0 | जिला का नाम | चयन हेतु पद |
|---|---|---|
| 1 | अररिया, खगड़िया, भोजपुर, दरभंगा, लखीसराय, शेखपुरा, बक्सर, शिवहर एवं कटिहार। | GEN-03, EBC/BC-01, SC/ST-01 Including 02 Female |
| 2 | रोहतास, पूर्णिया एवं सिवान | SC/ST-01 |
| 3 | सुपौल एवं सहरसा | SC/ST-01 (Only Female) |
| 4 | गोपालगंज | EBC/BC-01 |
| 5 | किशनगंज एवं नालंदा | GEN-01, SC/ST-01 |
| 6 | औरंगाबाद एवं मुंगेर | GEN-02 |
| 7 | भागलपुर एवं पूर्वी चम्पारण | EBC/BC-01, SC/ST-01 Including 01 Female |
| 8 | जहानाबाद | GEN-01, SC/ST-01 (Only Female) |
| 9 | जमुई | GEN-01 (Only Female) |
| 10 | बेगूसराय | GEN-01 |
| 11 | सारण (छपरा) एवं पश्चिम चम्पारण | GEN-01, EBC/BC-01, SC/ST-01 Including 01 Female |
| 12 | अरवल एवं कैमूर | GEN-03, EBC/BC-01 Including 02 Female |
| 13 | वैशाली | GEN-03, EBC/BC-01 Including 01 Female |
| 14 | बॉका | GEN-03, SC/ST-01 Including 02 Female |
| 15 | मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर एवं मधुबनी | GEN-02, EBC/BC-01, SC/ST-01 Including 01 Female |
| 16 | सीतामढ़ी | GEN-03, SC/ST-01 Including 01 Female |
| 17 | मधेपुरा | GEN-02, EBC/BC-01, SC/ST-01 Including 02 Female |

बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष / सदस्य के रूप में चयन हेतु इच्छुक संबंधित जिला के निवासी वांछित कागजात संलग्न करते हुए वेबसाईट **https://state.bihar.gov.in/socialwelfare/** पर Online आवेदन कर सकते हैं। Online आवेदन दिनांक–26.06.2023 से दिनांक–10.07.2023 तक प्राप्त किये जायेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों की आयु न्यूनतम 30 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष होगी, जिसकी गणना 01.03.2023 से की जायेगी। समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के प्रत्येक बैठक

के लिए 2000 रूपये (अधिकतम 20 बैठक) प्रावधानित है। बैठक का निर्धारण किशोर न्याय अधिनियम/नियमावली के नियमानुसार होगा। आयु के साथ निर्धारित आवेदक की अर्हताएँ बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 में प्रावधानित है। बिहार किशोर न्याय बालकों की देख रेख एवं संरक्षण नियमावली, 2017 विभागीय वेबसाईट **https://state.bihar.gov.in/socialwelfare/** पर उपलब्ध है।

**नोट**:– रिक्तियों की संख्या सभी कोटि में घट एवं बढ़ सकती है। स्नातकोत्तर डिग्री के साथ सामाजिक कार्यकर्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में स्नातक (प्रतिष्ठा) डिग्री प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता के आवेदन पर नियमावली में निहित प्रावधान के आलोक में विचार किया जायेगा। आवेदक को आवेदन भरने में तकनीकी समस्या हो तो **helpdeskrecruitment.dsw23@gmail.com** पर मेल करेंगे, जो आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक मान्य है।

20/06

निदेशक, समाज कल्याण